



NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh

Gen. Secretary

&

Joint Gen. Secretary-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony

Sulem Sarai, Prayagraj - 211011

P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No :191/NCRES/81/23

Date : 20.9.2023

श्रीमान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर (निर्माण)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय:- विश्राम दिवसो पर प्री N. I. (नान इंटरलाक) एवं N. I. के दौरान कार्य करने वाले निर्माण विभाग के JE/SSE/सिगनल (निर्माण) को प्रतिपूरक विश्राम (CR) न देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- JE/SSE/SIGNALको साप्ताहिक विश्राम देने का पत्र संख्या S&T/NCR/ PNM/ NCRES दिनांक 25.3.2014

महोदय,

अवगत कराना है कि संरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सिगनल विभाग के JE व SSE को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की अवधारणा को लेकर NCRES के HQ PNM में मद संख्या 29/2013 पर विस्तृत चर्चा के बाद ESM, JE व SSE को विश्राम देने के लिये PCSTE के द्वारा दिनांक 25.3.2014 को आदेश जारी किया गया (संलग्न) और यह भी आदेश जारी हुआ कि दुर्घटना, बड़े फेलियर आदि पर यदि साप्ताहिक विश्राम न दिया जा सके तो कर्मचारी को उसके एवज में बाद में प्रतिपूरक विश्राम (CR) दिया जाय।

PCSTE के आदेश दिनांक 25.3.2014 के अनुसार जहाँ सामान्यतः एक ओर निर्माण विभाग के JE/SSE को साप्ताहिक विश्राम तो मिल जाता है परन्तु साप्ताहिक विश्राम दिवसो पर प्री N.I. एवं N.I. (नान इंटरलाक) के दौरान लगातार पूरी तन्मयता से कार्य करने वाले कर्मचारियों को उसका प्रतिपूरक विश्राम नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है, और यह संरक्षा के कार्य के दृष्टिकोण से उचित भी नहीं है।

उदाहरण के लिये श्री राजेश कुमार सिंह गौर, एस.एस.ई./सिगनल/निर्माण ने साप्ताहिक विश्राम के दिन, दिनांक 26-27 जून 2021 को झांसी मण्डल में बबीना स्टेशन पर N.I. का कार्य कराया जिसके एवज में उन्होंने 5-6 जुलाई 2021 को नियमतः प्रतिपूरक विश्राम किया परन्तु प्रतिपूरक विश्राम को स्वीकृत न करके उसके लिये उनके वेतन की कटौती कर ली गयी जब कि पूर्व में दिनांक 5.12.2019 को ASTE/C-II/NCR/ALD एवं Dy CSTE/PRYJ ने प्रापर विश्राम के दिन नान इंटरलाक के दौरान कार्य करने पर उसका प्रतिपूरक विश्राम देने हेतु आदेशित किया था।

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में NCRES का अनुरोध है कि प्रापर विश्राम के दिन प्री N.I. / N.I. में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विश्राम के एवज में प्रतिपूरक विश्राम दिया जाय और श्री राजेश कुमार सिंह गौर, एस.एस.ई/सिगनल (निर्माण) के द्वारा विश्राम के दिवसो पर N.I. का कार्य करने की एवज में दिनांक 5, 6 जुलाई 2021 का प्रतिपूरक विश्राम स्वीकृत करने एवं उन दिनो का वेतन चार्ज करने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट किया जाय, और की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराया जाय।

संलग्न : NCR/HQ का पत्र दिनांक 25.3.2014

आर. पी. सिंह.
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री



W
NORTH CENTRAL RAILWAY
प्रधान कार्यालय (सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग)
गंगा परिसर, सूबेदारगंज, इलाहाबाद - 211015

Headquarter's Office. (S&T Deptt.)
Ganga Complex, Subedarganj
Allahabad - 211 015

संख्या: S&T/NCR/PNM/NCRES

दिनांक: 25/03/2014

वरि.मं.सिग.एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय) / उमरे / इलाहाबाद,
वरि.मं.सिग.एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय) / उमरे / झाँसी एवं
वरि.मं.सिग.एवं दू.सं.इंजी. / उमरे / आगरा


विषय: **Weekly rest to ESM, JE & SSE/Signal.**

During PNM meeting held at HQ on 25/03/2014, issue of weekly rest of ESM, JE & SSE/Signal was raised by NCRES. It was stated that weekly rest is normally not being given to the staff. It was also represented that some of the S&T staff has not been given rest during last 1-2 years. Such cases are to be investigated and reason for not giving rest to the staff for such a long period should be submitted to this office at the earliest.

In connection with above, following actions are to be taken.

- 1) Rest of JE & SSE should be staggered so that if one supervisor is on rest, another is available on duty. JE/SSE availing rest should normally not to be called for attending failure except in major unusuials like accident, derailment, serious nature of failures affecting train operation severely. However for leaving the HQ during the rest, prior permission of competent authority is to be obtained by the staff.
- 2) Staff attending failures after normal duty hour should be given compensatory rest as per rule.
- 3) A separate record is to be maintained by SSE incharge and divisional test room of the staff attended failures after normal duty during night alongwith details of compensatory rest given which should be checked by Sr.DSTE on weekly basis.

You are hereby advised to follow the above mention directives and ensure that weekly & compensatory rest are given to the staff except during major unusual like accident, derailment etc.


(अनिल कुमार मिश्रा)
मुख्य सिग्नल इंजीनियर/पूर्व
उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज, इलाहाबाद